



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102026-277195
CG-DL-E-16102026-277195

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 812]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 14, 2026/आश्विन 22, 1948

No. 812]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 14, 2026/ASVINA 22, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2026

सा. का. नि. 883(अ). – केंद्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 319 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ग) और खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः –

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (पत्तन सुरक्षा ब्यूरो) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. लागू होना — ये नियम निम्नलिखित की सुरक्षा के संबंध में 'पत्तन सुरक्षा ब्यूरो' के कार्यकलाप और प्रचालन पर लागू होंगे: –

(क) पत्तन सुविधाएं; और

(ख) पत्तन सुविधाओं में तैनात वे जलयान जो जलयान-पत्तन इंटरफ़ेस के काम में लगे हैं।

3. परिभाषाएं — (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

(क) “अधिनियम” से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) अभिप्रेत है;

(ख) “प्रशासन” से अधिनियम की धारा 7 के अधीन नियुक्त समुद्री प्रशासन महानिदेशक अभिप्रेत है;

(ग) “ब्यूरो” से अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन गठित पत्तन सुरक्षा ब्यूरो अभिप्रेत है;

(घ) “कंपनी” से अधिनियम की धारा 115 की उपधारा (क) के अधीन यथापरिभाषित कंपनी अभिप्रेत है;

(ङ.) “समुद्री विधि प्रवर्तन अभिकरण” से भारतीय कोस्ट गार्ड, भारतीय नौसेना, सीमा शुल्क, तटीय पुलिस या कोई अन्य अभिकरण जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए अभिप्रेत है।;

(च) “पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना” से एक ऐसी योजना अभिप्रेत है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पत्तन सुविधा और पत्तन सुविधा के अंतर्गत आने वाले पोतों, व्यक्तियों, कार्गो, कार्गो परिवहन ईकाई और पोत के सामान को सुरक्षा घटनाओं की जोखिमों से संरक्षित रखने हेतु बनाए गए उपायों को लागू किया जाए;

(छ) “सुरक्षा घटना” से कोई भी ऐसी संदिग्ध कृत्य या परिस्थिति जिससे किसी पोत जिसमें मोबाइल ऑफ़शोर ड्रिलिंग यूनिट और तेज़ रफ़्तार वाला क्राफ़्ट भी शामिल है, अथवा पत्तन सुविधा, या किसी भी पोत और पत्तन के बीच के इंटरफ़ेस, या पोत-से-पोत के बीच होने वाली किसी क्रियाकलाप की सुरक्षा को ख़तरा हो अभिप्रेत है;

(ज) “प्रशिक्षण सुविधा” से इन नियमों के अधीन पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ब्यूरो द्वारा अनुमोदित कोई भी संस्थान अभिप्रेत है; और

(झ) “जलयान-पत्तन इंटरफ़ेस” ऐसी अंतः क्रिया से अभिप्रेत है जो तब घटित होती है जब कोई जलयान सीधे और तुरंत उन कार्यों से प्रभावित होता है जिनमें व्यक्तियों, माल या जलयान तक/से पत्तन सेवाओं की आवा-जाही शामिल होती है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति, जिन्हें अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में या सुरक्षा अभिसमय के अधीन 'इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी कोड' में बताया गया है।

4. ब्यूरो के कार्य — ब्यूरो, पत्तन सुविधाओं और जलयान-पत्तन इंटरफ़ेस की सुरक्षा से जुड़े इन नियमों के प्रावधानों के कार्यन्वयन और प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा। इस प्रयोजन के लिए, वह पत्तन सुविधाओं और जलयान-पत्तन इंटरफ़ेस की सुरक्षा से जुड़े ज़रूरी विनियामक, सुपरवाइज़री और निगरानी वाले कार्य करेगा।

5. पत्तन सुविधाओं और जलयानों-पत्तन इंटरफ़ेस की सुरक्षा के लिए नियामक ढांचा — ब्यूरो, पत्तन सुविधाओं और जलयान-पत्तन इंटरफ़ेस की सुरक्षा के लिए नियामक ढांचा स्थापित, लागू और बनाए रखेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपबंध होगा —

(क) पत्तन सुविधाओं और जलयान-पत्तन इंटरफ़ेस की सुरक्षा से संबंधित मानक, दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं;

(ख) पत्तन सुविधाओं के वर्गीकरण के लिए जोखिम-आधारित व्यवस्था, जिसमें पर्यावरण को होने वाले खतरे, परिचालन संबंधी विशेषताओं और पत्तन सुविधा की सुरक्षा से संगत जलयानों की आवाजाही की रीति को ध्यान में रखा जाता है;

(ग) पत्तन सुविधा सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा, अनुमोदन और निगरानी की प्रक्रियाएं, और जलयान-पत्तन इंटरफ़ेस के पत्तन-संबंधी पहलुओं से जुड़े मामलों पर केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के साथ समन्वय की प्रक्रियाएं;

(घ) पत्तन सुविधाओं और जलयान-पत्तन इंटरफ़ेस के लिए सुरक्षा उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु ज़रूरी सुरक्षा उपकरणों, कर्मचारियों और बुनियादी ढांचे से जुड़ी न्यूनतम आवश्यकताएं;

(ङ.) पत्तन सुविधाओं और जलयान-पत्तन इंटरफ़ेस के लिए सुरक्षा सेवाएँ देने वाली निजी सुरक्षा अभिकरणों को शामिल करने की प्रक्रिया; और

(च) इन नियमों के अधीन स्थापित विनियामक ढांचे के अनुपालन की पुष्टि के प्रयोजन से पत्तन सुविधाओं के निरीक्षण, ऑडिट और परिचालन निगरानी के लिए प्रोटोकॉल।

6. सुरक्षा संबंधी सूचना का संग्रहण, रखरखाव और आदान-प्रदान — (1) ब्यूरो, पत्तन सुविधाओं और जलयान-पत्तन इंटरफ़ेस से संबंधित सुरक्षा संबंधी सूचना के समय पर संग्रहण, संकलन, रखरखाव और आदान-प्रदान के लिए तंत्र स्थापित करेगा और इसका अनुरक्षण करेगा।

(2) उप-नियम (1) की व्यापकता से पूर्वाग्रह के बिना, ब्यूरो—

(क) सुरक्षा संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, प्रशासन, पत्तन प्राधिकरणों और समुद्री विधि प्रवर्तन अभिकरणों के साथ संचार तंत्र स्थापित करेगा और इसका अनुरक्षण करेगा;

(ख) पत्तन सुविधाओं और जलयान-पत्तन इंटरफ़ेस की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले खतरों, सुरक्षा घटनाओं और कमजोरियों से संबंधित रिकॉर्ड, रिपोर्ट और आकलन एकत्र करेगा, इनका अनुरक्षण करेगा और समय-समय पर इनका पुनर्विलोकन करेगा;

(ग) सुरक्षा खतरों की रोकथाम, तैयारी, प्रशमन और प्रतिक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए उचित अधिकारियों को सुसंगत सुरक्षा संबंधी सूचना समय पर प्रसारित करना;

(घ) सुनिश्चित करेगा कि सुरक्षा-संबंधी जानकारी का संग्रहण, भंडारण, प्रसंस्करण, प्रबंधन और प्रसार गोपनीयता, डाटा सुरक्षा और परिचालन सुरक्षा से संबंधित लागू विधियों के अनुसार किया जाता है; और

(ङ) सुरक्षा खतरों, जोखिमों और संवेदनशीलता से संबंधित जानकारी प्राप्त, साझा और अद्यतन करने के लिए प्राधिकृत खुफिया और समुद्री सुरक्षा अभिकरणों के साथ समन्वय करेगा।

7. सरकार, प्राधिकरणों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय — (1) ब्यूरो, पत्तन सुविधाओं और जलयान-पत्तन इंटरफ़ेस से संबंधित सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यकतानुसार केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, प्रशासन, पत्तन प्राधिकरणों, समुद्री विधि प्रवर्तन अभिकरणों, पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारियों, कंपनियों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय करेगा।

(2) उप-नियम (1) की व्यापकता से पूर्वाग्रह के बिना, ब्यूरो—

(क) इन नियमों के अधीन निर्दिष्ट सुरक्षा मानकों, प्रक्रियाओं और उपायों के एकसमान कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए राज्य समुद्री बोर्डों, पत्तन प्राधिकरणों और पत्तन सुविधा सुरक्षा के लिए गठित अन्य समितियों के साथ मिलकर काम करेगा;

(ख) पत्तन सुविधाओं और जलयान-पत्तन इंटरफ़ेस पर सुरक्षा उपायों के संबंध में पत्तन सुविधा सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारियों के साथ और, जहां आवश्यक हो, कंपनी सुरक्षा अधिकारियों के साथ समन्वय करेगा;

(ग) सुरक्षा-संबंधी जानकारी, खतरे के आकलन और घटना रिपोर्टों के आदान-प्रदान सहित पत्तन सुविधा सुरक्षा से संबंधित मामलों पर अंतर-अभिकरण समन्वय के लिए नोडल बिंदु के रूप में कार्य करेगा;

(घ) संबंधित प्राधिकरणों के साथ समन्वय में पत्तन सुविधाओं और जलयान-पत्तन इंटरफ़ेस की सुरक्षा से संबंधित संयुक्त निरीक्षण, सुरक्षा मूल्यांकन, लेखापरीक्षा, अभ्यास और समीक्षा सुविधा प्रदान करेगा; और

(ङ) सुसंगत प्राधिकारियों और हितधारकों को सुरक्षा तत्परता को मजबूत करने और इन नियमों के अनुपालन के लिए तकनीकी और परामर्शी सहायता प्रदान करना।

8. सुरक्षा मानकों और दिशा-निर्देशों का निर्माण और जारी करना — (1) ब्यूरो, अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुरूप, पत्तन सुविधाओं और जलयान-पत्तन इंटरफ़ेस की सुरक्षा से संबंधित सुरक्षा मानकों, दिशा-निर्देश और प्रक्रियाएं तैयार करेगा, उन्हें जारी करेगा और समय-समय पर उनकी समीक्षा करेगा और अद्यतन करेगा।

(2) जलयानों और जलयान-पत्तन इंटरफ़ेस की सुरक्षा के लिए मानकों, दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं—

(क) पत्तन सुविधाओं और जलयान-पत्तन इंटरफ़ेस की सुरक्षा के लिए यथाआवश्यक पहुँच नियंत्रण, निगरानी, मॉनीटरिंग, स्क्रीनिंग, गश्त और अन्य सुरक्षा उपायों से संबंधित मानक और विशिष्टताएँ;

(ख) सुरक्षा प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा, संचार प्रणालियों और आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्थाओं की तैनाती और उपयोग से संबंधित उपाय;

(ग) सुरक्षा जोखिम मूल्यांकन, सुरक्षा ड्रिल और अभ्यास, लेखापरीक्षा, निरीक्षण, पुनर्विलोकन और प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए पद्धतियाँ और प्रक्रियाएँ;

(घ) सुरक्षा खतरों और सुरक्षा घटनाओं के प्रति समन्वय, तैयारी और प्रतिक्रिया के सुदृढीकरण के उपाय; और

(ड) पत्तन सुविधाओं और जलयान-पत्तन इंटरफेस की सुरक्षा के लिए आवश्यक अन्य ऐसे सुरक्षा उपाय, जो राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किसी भी निर्देश के अनुरूप हों।

(3) ब्यूरो इस नियम के अधीन जारी सुरक्षा मानकों, दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं से संबंधित प्राधिकरणों और हितधारकों को उस तरीके से सूचित, इन्हें प्रकाशित या अन्यथा संप्रेषित करेगा, जैसा वह उचित समझे।

9. सुरक्षा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण — (1) ब्यूरो, पत्तन सुविधाओं और जलयान-पत्तन इंटरफेस की सुरक्षा में लगे कार्मिकों के कौशल और सुरक्षा संबंधी जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम तैयार करेगा, उनका कार्यान्वयन करेगा तथा उनकी निगरानी करेगा।

(2) उपनियम (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ब्यूरो—

- (क) पत्तन सुविधाओं और जलयान-पत्तन इंटरफेस की सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं स्थापित करेगा या उन्हें अनुमोदित करेगा;
- (ख) पत्तन प्राधिकरणों, पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारियों, कंपनी सुरक्षा अधिकारियों, पोत सुरक्षा अधिकारियों तथा ऐसे अन्य कार्मिकों, जिन्हें आवश्यक समझा जाए, के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, अभ्यासों और कवायदों का आयोजन और संचालन करेगा;
- (ग) राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं, उभरते खतरों, प्रौद्योगिकीय विकास और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, मॉड्यूलों और सामग्रियों का विकास और पुनरीक्षण करेगा तथा उन्हें समय-समय पर अद्यतन करेगा;
- (घ) कार्मिकों की सक्षमता और निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के लिए उनके प्रशिक्षण, प्रमाणन और मूल्यांकन से संबंधित अभिलेख रखेगा;
- (ङ) परिचालनगत तत्परता और सुरक्षा अनुपालन को सुदृढ़ करने के लिए पत्तन प्राधिकरणों, समुद्री विधि प्रवर्तन अभिकरणों और अन्य संबंधित प्राधिकरणों को तकनीकी मार्गदर्शन और परामर्शी सहायता प्रदान करेगा; और
- (च) प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता की निगरानी और मूल्यांकन करेगा तथा उनके निरंतर सुधार के लिए ऐसे उपाय करेगा, जो आवश्यक हों।

(3) ब्यूरो, प्रशिक्षण मानकों के विकास, उनके कार्यान्वयन और निरंतर सुधार के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों, शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों, व्यावसायिक निकायों तथा अन्य संबंधित अभिकरणों के साथ सहयोग कर सकेगा, ताकि उक्त मानक अद्यतन, प्रभावी और उभरते समुद्री सुरक्षा खतरों के अनुरूप बने रहें।

10. सुरक्षा नियम-पुस्तिकाओं, मानक प्रचालन प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉलों को तैयार करना और उनका रखरखाव — (1) ब्यूरो, इन नियमों के अनुसार पत्तन सुविधाओं और जलयान-पत्तन इंटरफेस की सुरक्षा के लिए सुरक्षा नियम पुस्तिकाएं, मानक प्रचालन प्रक्रियाएं और परिचालनगत प्रोटोकॉल तैयार करेगा, उनका रखरखाव करेगा तथा उन्हें समय-समय पर अद्यतन करेगा।

(2) पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ब्यूरो—

(क) पत्तन सुविधाओं और जलयान-पत्तन इंटरफेस के लिए प्रवेश नियंत्रण, निगरानी, जांच, गश्त और आपातकालीन प्रतिक्रिया से संबंधित सुरक्षा नियम-पुस्तिकाएं और मानक प्रचालन प्रक्रियाएं विकसित करेगा;

(ख) पत्तन प्राधिकरणों, पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारियों, समुद्री विधि प्रवर्तन अभिकरणों और अन्य संबंधित हितधारकों के बीच समन्वय, रिपोर्टिंग और संचार के लिए प्रोटोकॉल जारी करेगा;

(ग) सुरक्षा उपायों की परिचालनगत तत्परता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए पत्तन सुविधाओं और जलयान-पत्तन इंटरफेस के संबंध में सुरक्षा संपरीक्षाओं, ड्रिल्स और अभ्यासों के संचालन तथा घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करेगा; और

(घ) सभी सुरक्षा नियम-पुस्तिकाओं, मानक प्रचालन प्रक्रियाओं और परिचालनगत प्रोटोकॉलों के अभिलेख रखेगा तथा उनका समय-समय पर पुनरीक्षण करेगा।

(3) इस नियम के अधीन तैयार की गई सुरक्षा नियम-पुस्तिकाएं, मानक प्रचालन प्रक्रियाएं और परिचालनगत प्रोटोकॉल—

(क) अधिनियम, इन नियमों और लागू अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभिसमयों के उपबंधों के अनुरूप होंगे तथा राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा उद्देश्यों के साथ संरेखित होंगे;

(ख) कार्यान्वयन के लिए संबंधित प्राधिकरणों और अन्य संबंधित हितधारकों को परिचालित किए जाएंगे; और

(ग) पत्तन सुविधाओं और जलयान-पत्तन इंटरफेस के लिए जोखिम न्यूनीकरण, घटना प्रबंधन और सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

(4) ब्यूरो, इस नियम के अधीन तैयार की गई किसी सुरक्षा नियम-पुस्तिका, मानक प्रचालन प्रक्रिया और परिचालनगत प्रोटोकॉल का ऐसे अंतरालों पर, जिन्हें वह आवश्यक समझे, अथवा जब भी निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित हो, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण कर सकेगा—

(क) उभरते या विकसित होते सुरक्षा खतरे;

(ख) प्रौद्योगिकीय विकास;

(ग) लागू विधियों, नियमों या अंतरराष्ट्रीय दायित्वों में परिवर्तन; अथवा

(घ) सुरक्षा संपरीक्षाओं, ड्रिल्स, अभ्यासों या सुरक्षा घटनाओं से प्राप्त अनुभव।

11. संपरीक्षा, पुनर्विलोकन और रिपोर्टिंग— (1) ब्यूरो, अधिनियम और इन नियमों के अनुपालन की निगरानी करने के लिए पत्तन सुविधाओं और जलयान-पत्तन इंटरफेस पर कार्यान्वित सुरक्षा उपायों की संपरीक्षा और पुनर्विलोकन हेतु तंत्र स्थापित करेगा तथा उनका रखरखाव करेगा।

(2) पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ब्यूरो—

(क) सुरक्षा मानकों, मानक प्रचालन प्रक्रियाओं, सुरक्षा योजनाओं और ब्यूरो द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन की पुष्टि करने के लिए पत्तन सुविधाओं की आवधिक संपरीक्षाएं और निरीक्षण करेगा।
स्पष्टीकरण— इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “आवधिक संपरीक्षा” से ब्यूरो द्वारा आदेश के माध्यम से विनिर्दिष्ट अंतरालों पर अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित मानक प्रचालन प्रक्रियाओं के अनुसार की गई संपरीक्षाएं अभिप्रेत हैं;

(ख) पत्तन प्राधिकरणों और पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत पत्तन सुविधाओं तथा जलयान-पत्तन इंटरफेस से संबंधित सुरक्षा योजनाओं, प्रचालन प्रक्रियाओं और घटना रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करेगा;

(ग) कार्यान्वित सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता का आकलन करेगा और सुधारात्मक या निवारक कार्रवाई अपेक्षित करने वाली कमियों की पहचान करेगा; और

(घ) रिपोर्टिंग, निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के प्रयोजनों के लिए सभी संपरीक्षाओं, पुनर्विलोकनों, निष्कर्षों, सिफारिशों और सुधारात्मक कार्रवाइयों के अभिलेख रखेगा।

(3) ब्यूरो, संपरीक्षा निष्कर्षों, आकलनों और सिफारिशों की समयबद्ध रिपोर्टिंग के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करेगा—

(क) केंद्रीय सरकार को;

(ख) प्रशासन को; और

(ग) जहां समन्वय के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो, वहां पत्तन सुविधाओं और जलयान-पत्तन इंटरफेस की सुरक्षा से संबंधित समुद्री विधि प्रवर्तन अभिकरणों को।

(4) इस नियम के अधीन की गई संपरीक्षाओं और पुनर्विलोकनों से प्राप्त निष्कर्षों और सिफारिशों का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा—

(क) सुरक्षा जोखिम आकलनों को अद्यतन करने तथा सुरक्षा उपायों और प्रचालन प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने के लिए;

(ख) प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और तैयारी संबंधी अपेक्षाओं की पहचान करने के लिए; और

(ग) चिह्नित सुरक्षा कमियों या असुरक्षितताओं के निवारण के लिए इन नियमों के अधीन निर्देश जारी करने में सहायता प्रदान करने के लिए।

12. सुरक्षा स्तरों के लिए प्रतिक्रिया उपाय- (1) ब्यूरो, पत्तन सुविधाओं और जलयान-पत्तन इंटरफेस के संबंध में अधिनियम की धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन निर्धारित सुरक्षा स्तरों से संबंधित प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित और उसका रखरखाव करेगा।

(2) उप-नियम (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ब्यूरो-

(क) अधिनियम की धारा 129 की उप-धारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रत्येक सुरक्षा स्तर के लिए, खतरे के आकलन और प्रचालनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, पत्तन सुविधाओं और जलयान-पत्तन इंटरफेस पर लागू किए जाने वाले सुरक्षा उपायों को विनिर्दिष्ट करें;

(ख) आसूचना इनपुट्स, सुरक्षा निदेशों या सुरक्षा घटनाओं की प्रतिक्रिया में सुरक्षा उपायों में वृद्धि और नियंत्रित करने संबंधी प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करे;

(ग) प्रतिक्रिया उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पत्तन प्राधिकारियों, पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारियों, समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय और समुद्रीय विधि प्रवर्तन अभिकरणों के साथ समन्वय;

(घ) प्रतिक्रिया उपायों की प्रभावशीलता की निगरानी करें और उनके निरंतर सुधार के लिए यथाआवश्यक मार्गदर्शन या निर्देश जारी करें; और

(ङ) प्रत्येक सुरक्षा स्तर के लिए उपयुक्त अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन पर पत्तन प्राधिकरणों और पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारियों को मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

(3) ब्यूरो, पत्तन सुविधाओं और जलयान-पत्तन इंटरफ़ेस की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमताओं का आकलन करने के लिए सुरक्षा ड्रिल, अभ्यास और सिमुलेशन आयोजित कर सकता है या इनके आयोजन की आवश्यकता रख सकता है।

(4) ब्यूरो निम्नलिखित का रिकॉर्ड रखेगा -

(क) अधिनियम की धारा 129 की उप-धारा (3) के अधीन निर्धारित सुरक्षा स्तर;

(ख) प्रत्येक ऐसे सुरक्षा स्तर के संबंध में पत्तन सुविधाओं और जलयान-पत्तन इंटरफ़ेस पर कार्यान्वित प्रतिक्रिया उपाय; और

(ग) सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं, ड्रिल और अभ्यास से मिली जानकारी, नतीजों और सीख का उपयोग;

और ऐसे रिकॉर्ड का उपयोग जोखिम का आकलन करने, सुरक्षा ऑडिट करने, प्रचालनात्मक योजना और सुरक्षा से जुड़े निर्देश जारी करने के लिए किया जाएगा।

13. प्रशासनिक नियंत्रण और शासी ढांचा - (1) ब्यूरो, केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा और समय-समय पर इसके द्वारा जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करेगा।

(2) ब्यूरो, इस अधिनियम और इन नियमों के अधीन अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए, 'अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में जीवन की सुरक्षा अभिसमय, 1974, 'अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा संहिता' और ऐसे अन्य प्रयोज्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभिसमयों के अनुसार काम करेगा, जिन्हें इस अधिनियम या इसके अधीन बने नियमों के अंतर्गत लागू किया गया है।

14. संरक्षा और सुरक्षा अपेक्षाओं के मध्य असंगतियों को हल करने संबंधी निर्देश - (1) केंद्रीय सरकार, समुद्रीय प्रचालन पर लागू संरक्षा और सुरक्षा आवश्यकताओं के मध्य किसी भी असंगतियों को हल करने या रोकने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले निदेश जारी कर सकती है।

(2) ब्यूरो, उप-नियम (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निदेशों का पालन करेगा।

[फा. सं. एसवाई-19014/185/2025-एमजी-भाग(2)(i)]

वेंकटेशपति एस, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th October, 2026.

G.S.R. 883(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (c) and (d) of sub-section (2) of section 319 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025), the Central Government hereby makes the following rules, namely: —

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Bureau of Port Security) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. — These rules shall apply to the functioning and operations of the Bureau of Port Security in relation to the security of the following, namely: —

- (a) port facilities; and
- (b) vessels in port facilities engaged in vessel-port interface.

3. Definitions. — (1) In these rules, unless the context otherwise requires—

- (a) “Act” means the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025);
- (b) “Administration” means the Director-General of Maritime Administration appointed under section 7 of the Act;
- (c) “Bureau” means the Bureau of Port Security, constituted under sub-section (1) of section 13 of the Act;
- (d) “company” means as defined under sub-section (a) of section 115 of the Act;
- (e) “maritime law enforcement agencies” means the Indian Coast Guard, Indian Navy, Customs, Coastal Police or any other agency as may be notified by the Central Government;
- (f) “port facility security plan” means a plan to ensure the application of measures designed to protect the port facility and ships, persons, cargo, cargo transport units and stores of ship within the port facility from the risks of a security incident;
- (g) “security incident” means any suspicious act or circumstance threatening the security of a ship, including a mobile offshore drilling unit and a high-speed craft, or of a port facility or of any ship and port interface, or any ship-to-ship activity;
- (h) “training facility” means any institution approved by the Bureau for imparting port security training under these rules; and

(i) “vessel-port interface” means the interactions that occur when a vessel is directly and immediately affected by actions involving the movement of persons, goods or the provisions of port services to or from the vessel.

(2) The words and expressions used in these rules but not defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the International Ship and Port Facility Security Code under the Safety Convention.

4. Functions of Bureau. — The Bureau shall be responsible for ensuring the implementation and enforcement of the provisions of these rules in relation to the security of port facilities and the vessel-port interface and for the said purpose, exercise such regulatory, supervisory and oversight functions as may be necessary in relation to the security of port facilities and vessel-port interface.

5. Regulatory framework for security of port facilities and vessels-port interface. — The Bureau shall establish, implement and maintain the regulatory framework for the security of port facilities and the vessel-port interface, which shall, *inter alia*, provide for—

- (a) standards, guidelines and procedures relating to the security of port facilities and the vessel-port interface;
- (b) a risk-based mechanism for the categorisation of port facilities, having regard to the threat to environment, operational characteristics and vessel movement patterns relevant to port facility security;
- (c) procedures for the review, approval and monitoring of port facility security plans, and for coordination with the person authorised by the Central Government on matters relating to the port-side aspects of the vessel-port interface;
- (d) minimum requirements relating to security equipment, personnel and infrastructure necessary for the effective implementation of security measures for port facilities and the vessel-port interface;
- (e) mechanism for engagement of the private security agencies engaged in providing security services for port facilities and vessel-port interface; and
- (f) protocols for inspections, audits and operational monitoring of port facilities for the purpose of verifying compliance with the regulatory framework established under these rules.

6. Collection, maintenance and exchange of security information. — (1) The Bureau shall establish and maintain mechanisms for the timely collection, collation, maintenance and exchange of security related information relating to port facilities and vessel-port interface.

(2) Without prejudice to the generality of sub-rule (1), the Bureau shall—

- (a) establish and maintain communication mechanisms with the Central Government, State Governments, the Administration, port authorities and maritime law enforcement agencies for the exchange of security-related information;

- (b) collect, maintain and periodically review records, reports and assessments relating to threats, security incidents and vulnerabilities affecting the security of port facilities and the vessel-port interface;
- (c) disseminate relevant security-related information to the appropriate authorities in a timely manner to facilitate the prevention of, or preparedness for, mitigation of and response to security threats;
- (d) ensure that the collection, storage, processing, handling and dissemination of security-related information are carried out in accordance with the applicable laws relating to confidentiality, data protection and operational security; and
- (e) coordinate with authorised intelligence and maritime security agencies for obtaining, sharing and updating information relating to security threats, risks and vulnerabilities.

7. Coordination with Government, authorities and other stakeholders. — (1) The Bureau shall coordinate with the Central Government, State Governments, the Administration, Port authorities, maritime law enforcement agencies, port facility security officers, companies, and other stakeholders as may be necessary for the effective implementation of security measures relating to port facilities and the vessel-port interface.

(2) Without prejudice to the generality of sub-rule (1), the Bureau shall—

- (a) engage with State Maritime Boards, port authorities and other committees constituted for port facility security to promote the uniform implementation of the security standards, procedures and measures specified under these rules;
- (b) coordinate with port facility security officers for the review, implementation and monitoring of port facility security plans and, where necessary, with company security officers in relation to security measures at port facilities and the vessel-port interface;
- (c) serve as the nodal point for inter-agency coordination on matters relating to port facility security, including the exchange of security-related information, threat assessments and incident reports;
- (d) facilitate joint inspections, security assessments, audits, exercises and reviews relating to the security of port facilities and the vessel-port interface in coordination with the relevant authorities; and
- (e) provide technical and advisory support to the relevant authorities and stakeholders for strengthening security preparedness, and compliance with these rules.

8. Formulation and issuance of security standards and guidelines. — (1) The Bureau shall formulate, issue and periodically review and update security standards, guidelines and procedures relating to the security of port facilities and the vessel-port interface, consistent with the provisions of the Act and these rules.

(2) The standards, guidelines and procedures for the security of vessels and the vessel-port interface may include—

- (a) standards and specifications relating to access control, surveillance, monitoring, screening, patrolling and such other security measures as may be necessary for the security of port facilities and the vessel-port interface;

- (b) measures relating to the deployment and use of security technologies, cybersecurity, communication systems and emergency response arrangements;
- (c) methodologies and procedures for security risk assessment, security drills and exercises, audits, inspections, reviews and performance evaluation;
- (d) measures for strengthening coordination, preparedness and response to security threats and security incidents; and
- (e) such other security measures as may be necessary for the protection of port facilities and the vessel-port interface, consistent with national security requirements and any directions issued by the Central Government.

(3) The Bureau shall notify, publish or otherwise communicate the security standards, guidelines and procedures issued under this rule to the relevant authorities and stakeholders, in such manner as it considers appropriate.

9. Security Training and Capacity Building. — (1) Security training and capacity building. — (1) The Bureau shall formulate, implement and oversee training and capacity-building programmes for enhancing the skills and security awareness of personnel engaged in the security of port facilities and the vessel-port interface.

(2) Without prejudice to the generality of sub-rule (1), the Bureau shall—

- (a) establish or approve training facilities for imparting training relating to the security of port facilities and the vessel-port interface;
- (b) organise and conduct training programmes, workshops, seminars, drills and exercises for port authorities, port facility security officers, company security officers, ship security officers and such other personnel as may be considered necessary;
- (c) develop, review and periodically update training curricula, modules, and materials having regard to national security requirements, emerging threats, technological developments and international best practices;
- (d) maintain records relating to training, certification and evaluation of personnel for ensuring competence and continuous improvement;
- (e) provide technical guidance and advisory support to port authorities, maritime law enforcement agencies and other relevant authorities for strengthening operational preparedness and security compliance; and
- (f) monitor and evaluate the effectiveness of training and capacity-building programmes and take such measures as may be necessary for their continuous improvement.

(3) The Bureau may collaborate with national and international organisations, educational and training institutions, professional bodies and other relevant agencies for the development, delivery and continuous improvement of training standards that remain current, effective and responsive to evolving maritime security threats.

10. Preparation and maintenance of security manuals, standard operating procedures and protocols.

— (1) The Bureau shall prepare, maintain, and periodically update security manuals, standard operating procedures and operational protocols for the security of port facilities and the vessel-port interface, in accordance with these rules.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing, the Bureau shall—

- (a) develop security manuals and standard operating procedures relating to access control, surveillance, screening, patrolling and emergency response for port facilities and the vessel-port interface;
- (b) issue protocols for coordination, reporting and communication among port authorities, port facility security officers, maritime law enforcement agencies and other relevant stakeholders;
- (c) establish procedures for the conduct of security audits, drills, exercises and incident reporting in respect of port facilities and the vessel-port interface to ensure the operational readiness and effectiveness of security measures; and
- (d) maintain and periodically review records of all security manuals, standard operating procedures and operational protocols.

(3) The security manuals, standard operating procedures and operational protocols prepared under this rule shall—

- (a) be consistent with the provisions of the Act, these rules and applicable international maritime conventions, and aligned with national maritime security objectives;
- (b) be disseminated to the concerned authorities and other relevant stakeholders for implementation; and
- (c) provide guidance on risk mitigation, incident management and the implementation of security measures for port facilities and the vessel-port interface.

(4) The Bureau may review and revise any security manual, standard operating procedure and operational protocol prepared under this rule at such intervals as it considers necessary or whenever required having regard to—

- (a) emerging or evolving security threats;
- (b) technological developments;
- (c) changes in applicable laws, rules or international obligations; or
- (d) lessons learnt from security audits, drills, exercises or security incidents.

11. Audit, review and reporting. — (1) The Bureau shall establish and maintain mechanisms for the audit and review of security measures implemented at port facilities and the vessel-port interface to monitor compliance with the Act and these rules.

(2) Without prejudice to the foregoing, the Bureau shall—

(a) conduct periodic audits and inspections of port facilities to verify compliance with the security standards, standard operating procedures, security plans and directions issued by the Bureau.

Explanation.— For the purposes of this clause, "periodic audits" means audits conducted at such intervals as may be specified by the Bureau by order or in the standard operating procedures approved by the Central Government;

(b) review the security plans, operational procedures and incident reports relating to port facilities and the vessel-port interface submitted by the port authorities and port facility security officers;

(c) assess the effectiveness of the security measures implemented and identify deficiencies requiring corrective or preventive action; and

(d) maintain records of all audits, reviews, findings, recommendations and corrective actions for the purposes of reporting, monitoring and follow-up.

(3) The Bureau shall establish procedures for the timely reporting of audit findings, assessments and recommendations to—

(a) the Central government;

(b) the Administration; and

(c) the maritime law enforcement agencies, where necessary for the purposes of coordination relating to the security of port facilities and the vessel-port interface.

(4) The findings and recommendations arising from audits and reviews conducted under this rule shall be utilised to—

(a) update security risk assessments and strengthen security measures and operational procedures;

(b) identify training, capacity-building and preparedness requirements; and

(c) support the issuance of directions under these rules for addressing identified security deficiencies or vulnerabilities.

12. Response measures for security levels. — (1) The Bureau shall establish and maintain response mechanisms corresponding to security levels set under sub-section (3) of section 129 of the Act, in respect of port facilities and vessel-port interface.

(2) Without prejudice to the generality of sub-rule (1), the Bureau shall—

(a) specify the security measures to be implemented at port facilities and the vessel-port interface for each security level set under sub-section (3) of section 129 of the Act, having regard to threat assessments and operational requirements;

(b) specify procedures for the escalation and de-escalation of security measures in response to intelligence inputs, security directives or security incidents;

(c) coordinate with the port authorities, port facility security officers, the Directorate General of Maritime Administration and the maritime law enforcement agencies for the effective implementation of the response measures;

(d) monitor the effectiveness of the response measures and issue such guidance or directions as may be necessary for their continual improvement; and

(e) provide guidance to the port authorities and port facility security officers on the implementation of additional security measures appropriate to each security level.

(3) The Bureau may conduct or require the conduct of security drills, exercises and simulations to assess the preparedness and response capabilities of port facilities and the vessel-port interface.

(4) The Bureau shall maintain records of—

(a) the security levels set under sub-section (3) of section 129 of the Act;

(b) the response measures implemented at port facilities and the vessel-port interface in respect of each such security level; and

(c) the observations, findings and lessons learnt from security incidents, drills and exercises,

and shall utilise such records for the purposes of risk assessment, security audits, operational planning and the issuance of security directives.

13. Administrative control and governing framework. — (1) The Bureau shall function under the administrative control of the Central Government and shall comply with such directions as may be issued by it from time to time.

(2) In the discharge of its functions under the Act and these rules, the Bureau shall act in accordance with the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, the International Ship and Port Facility Security Code and such other applicable international maritime conventions as are implemented under the Act or the rules made thereunder.

14. Directions for resolving inconsistencies between safety and security requirements. — (1) The Central Government may issue such directions as it considers necessary for resolving, or preventing, any inconsistencies between safety and security requirements applicable to maritime operations.

(2) The Bureau shall comply with the directions issued by the Central Government under sub-rule (1).

[F. No. SY-19014/185/2025-MG-Part(2)(i)]

VENKATESAPATHY S, Jt. Secy.